

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ1(31)परि/स्था./2021/9411

जयपुर, दिनांक:-02.06.2021

अधिसूचना

विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(31) परि/स्था/2021/8776 दिनांक 11.05.2021 द्वारा पोकरण, उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई है। जिला परिवहन कार्यालय, पोकरण को पंजीयन कोड RJ55 कार्यालय आदेश संख्या 06/21 द्वारा आवंटित किया जा चुका है। उक्त कार्यालय का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा :-

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम             | कार्यालय का क्षेत्राधिकार       |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.      | जिला परिवहन कार्यालय, पोकरण | पोकरण एवं भणियाना तहसील क्षेत्र |



(महेन्द्र कुमार खीची)  
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ1(31)परि/स्था./2021/9412-9430

जयपुर, दिनांक:-02.06.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर कृपया यह अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशित कर अधिसूचना की 10 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज।
9. जिला कलेक्टर, जैसलमेर।
10. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
11. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. अति० निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
15. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
16. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
17. जिला परिवहन कार्यालय, पोकरण।
18. नोडल अधिकारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
19. रक्षित पत्रावली।



अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ1(31)परि/स्था./2021/ 9451

जयपुर, दिनांक:-02.06.2021

अधिसूचना

विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(31) परि/स्था/2021/8776 दिनांक 11.05.2021 द्वारा सुमेरपुर, उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई है। जिला परिवहन कार्यालय, सुमेरपुर को पंजीयन कोड RJ57 कार्यालय आदेश संख्या 06/21 द्वारा आवंटित किया जा चुका है। उक्त कार्यालय का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा :-

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम                | कार्यालय का क्षेत्राधिकार                      |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.      | जिला परिवहन कार्यालय, सुमेरपुर | सुमेरपुर, बाली, रानी एवं देसुरी उपखण्ड क्षेत्र |

  
(महेन्द्र कुमार खीची)  
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ1(31)परि/स्था./2021/ 9452-9470

जयपुर, दिनांक:-02.06.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर कृपया यह अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशित कर अधिसूचना की 10 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज।
9. जिला कलेक्टर, पाली।
10. जिला पुलिस अधीक्षक, पाली।
11. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. अति० निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
15. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
16. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
17. जिला परिवहन कार्यालय, सुमेरपुर।
18. नोडल अधिकारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
19. रक्षित पत्रावली।

  
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

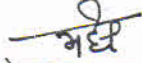
क्रमांक: एफ1(31)परि/स्था./2021/9431

जयपुर, दिनांक:-02.06.2021

अधिसूचना

विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(31) परि/स्था/2021/8776 दिनांक 11.05.2021 द्वारा सादुलशहर, उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई है। जिला परिवहन कार्यालय, सादुलशहर को पंजीयन कोड RJ56 कार्यालय आदेश संख्या 06/21 द्वारा आवंटित किया जा चुका है। उक्त कार्यालय का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा :-

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम                | कार्यालय का क्षेत्राधिकार |
|---------|--------------------------------|---------------------------|
| 1.      | जिला परिवहन कार्यालय, सादुलशहर | सादुलशहर तहसील क्षेत्र    |

  
(महेन्द्र कुमार खींची)  
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ1(31)परि/स्था./2021/9432-9450

जयपुर, दिनांक:- 02.06.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर कृपया यह अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशित कर अधिसूचना की 10 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
8. महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज।
9. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।
10. जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर।
11. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. अतिरिक्त निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
15. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
16. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
17. जिला परिवहन कार्यालय, सादुलशहर।
18. नोडल अधिकारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
19. रक्षित पत्रावली।

  
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग



क्रमांक: एफ1(31)परि/स्था./2021/ 9471

जयपुर, दिनांक: -02.06.2021

अधिसूचना

विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(31) परि/स्था/2021/8776 दिनांक 11.05.2021 द्वारा रावतभाटा, जैतारण, कुचामन सिटी उप परिवहन कार्यालय, आदेश क्रमांक एफ.1 (33) परि/स्था/2021/8796 दिनांक 11.05.2021 द्वारा खाजूवाला व कामां उप परिवहन कार्यालय तथा आदेश क्रमांक एफ.1(32) परि/स्था/2021/8815 दिनांक 11.05.2021 द्वारा चाकसू उप परिवहन कार्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की गई है। उपरोक्त कार्यालयों को निम्नानुसार लाइसेन्स कोड जारी किया गया है तथा उक्त कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा :-

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम                 | लाइसेन्स कोड | कोड आवंटन आदेश संख्या | कार्यालय का क्षेत्राधिकार                |
|----------|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 1.       | उप परिवहन कार्यालय, रावतभाटा    | RJ09A        | 08/2021               | रावतभाटा तहसील क्षेत्र                   |
| 2.       | उप परिवहन कार्यालय, जैतारण      | RJ22C        | 08/2021               | जैतारण एवं रायपुर उपखण्ड क्षेत्र         |
| 3.       | उप परिवहन कार्यालय, कुचामन सिटी | RJ37C        | 08/2021               | कुचामन तहसील क्षेत्र                     |
| 4.       | उप परिवहन कार्यालय, खाजूवाला    | RJ07C        | 08/2021               | खाजूवाला, पूगल एवं छतरगढ़ उपखण्ड क्षेत्र |
| 5.       | उप परिवहन कार्यालय, कामां       | RJ05B        | 08/2021               | कामां व पहाड़ी उपखण्ड क्षेत्र            |
| 6.       | उप परिवहन कार्यालय, चाकसू       | RJ14E        | 08/2021               | चाकसू एवं कोटखावदा तहसील क्षेत्र         |

  
(महेन्द्र कुमार खींची)  
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ1(31)परि/स्था./2021/ 9472-9490

जयपुर, दिनांक:-02.06.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर कृपया यह अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशित कर अधिसूचना की 10 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/उदयपुर/जोधपुर।
8. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/उदयपुर/जोधपुर रेंज।
9. जिला कलेक्टर, जयपुर/बीकानेर/ पाली/ चित्तौड़गढ़/नागौर/भरतपुर।
10. जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर/बीकानेर/ पाली/ चित्तौड़गढ़/नागौर/भरतपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. अति० निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
15. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
16. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
17. उप परिवहन कार्यालय, रातवभाटा, जैतारण, कुचामनसिटी, खाजूवाला, कामां, चाकसू।
18. "नोडल अधिकारी वेबसाइट" को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
19. रक्षित पत्रावली।



अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव